न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:— श्री गोपाल जांगिड़ (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :— 11/2022

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. विक्रमसिंह पुत्र हनुवन्तसिंह जाति राजपुत निवासी रेपड़ावास तह0 सोजत जिला पाली राज0।		1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

उपस्थिति:—

1. श्री दशरथसिंह चारण अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. श्री तहसीलदार सोजत अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

दिनांक 04.05.2022

—: निर्णय :—

अधिवक्ता मय वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत प्रतिवादी के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा बरियाला, तहसील सोजत में खाता संख्या 197 ख0नं0 203, 207, 208, 209, 211, 213, 214, 216/1, 218, 225, 227, 228, 230, 232, 233, 235, 236 कुल खसरा 17 रकबा 33.7900 है0 किस्म बा0दो0, बा0अ0, खाता संख्या 198 ख0नं0 216/3, 217, 335 कुल खसरा 03 कुल रकबा 2.5700 है0 किस्म बा0दो0, गै0मु0ढाणी, बा0अ0 की स्थित है, उक्त खसरान वादी की कब्जा काश्त, हक हकूक, खातेदारी की है। राजस्व अधिकारियों की गलती से बरवक्त भरने नामान्तकरण वादी के खाता संख्या 197 के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में नाम कालूसिंह पुत्र हणूतसिंह व खाता संख्या 198 के राजस्व रेकर्ड में नाम विक्रमसिंह पुत्र हणूतसिंह अंकित कर दिया गया, जबकि वादी का सही व दस्तावेजी नाम विक्रमसिंह पुत्र हनुवन्त सिंह के नाम की ग्राम रेपड़ावास के खाता संख्या 92 के ख0नं0 260, 261, 353 व 354 की भूमि स्थित है। इसी प्रकार वादी के स्वयं के मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पास बुक, विद्युत बिल इत्यादि दस्तावेजात में भी विक्रमसिंह पुत्र हनुवन्त सिंह ही अंकित है। जिससे यह स्पष्ट कि वादी का सही एवं वास्तविक नाम विक्रमसिंह पुत्र हनुवन्तसिंह ही है। वादपत्र में अंकित कृषि भूमि के सम्बंध में पूर्व से किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। वादी द्वारा वर्तमान में वादस्थ भूमि के सम्बंध में बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु संपर्क किया तथा बैंक कर्मचारियों द्वारा उक्त भूमि के सम्बंध मुें राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि बतलाने हेतु कहा गया, जिस पर वादी द्वारा दिनांक 02/12/2021 को वर्णित भूमियों के सम्बंध में सर्वप्रथम जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ की, राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम दस्तावेजी इन्द्राज न कर भिन्न—भिन्न नाम अंकित कर दिए, इसलिए वादी वादस्थ भूमियों के सम्बंध में अपने दस्तावेजी नाम से रेकर्ड दुरूस्त करवा कर अपने नाम की खातेदारी घोषणा करवाने का कानूनन अधिकारी है। बिनायदावा वादपत्र में वर्णित कृषि भूमियों के संम्बंध में सम्बंधित राजस्व कर्मचारियों के द्वारा वक्त इन्द्राज वादी का वास्तविक व दस्तावेजी नाम इन्द्राज न करने से व दिनांक 02/12/2021 को वादी को उक्त भूमियों की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर वादी का सही व दस्तावेजी नाम दर्ज न होने की जानकारी होने से बमुकाम ग्राम बरियाला उत्पन्न हुआ, जो वाद अन्दर म्याद पेश है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व वाद पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की जारी किये जाने की है कि वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का गलत दर्ज नाम कालूसिंह पुत्र हणूतसिंह के स्थान पर सही व वास्तविक दस्तावेजी नाम विक्रमसिंह पुत्र हनुवन्तसिंह दुरूस्त दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जरिए सम्मन वास्ते ज0दा0 तलब किये गये।प्रतिवादी सरकार की ओर से तहसीलदार, सोजत ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर

बिन्दुवार अंकित किया कि पैरा संख्या 1 में वर्णित सम्पति सरहद मौजा रेपडावास में स्थित है, अन्य पैरा को प्रार्थी स्वयं सिद्ध करने व कानूनी होना अंकित किया है, सा.मि. किया गया।

बहस अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने व्यक्त किया कि सरहद मौजा बरियाला, तहसील सोजत में खाता संख्या 197 ख0नं0 203, 207, 208, 209, 211, 213, 214, 216/1, 218, 225, 227, 228, 230, 232, 233, 235, 236 कुल खसरा 17 रकबा 33.7900 है0 किस्म बा0दो0, बा0अ0 की भूमि में वादी का नाम कालूसिंह पुत्र हणूतसिंह दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है। जबाब बहस में तहसीलदार, सोजत ने कोई आपति नही होना जाहिर किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद पत्र मय शपथ पत्र जबाब प्रतिवादी फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य अन्य राजस्व रेकर्ड यथा जमाबंदी सम्वत 2074-77 ग्राम बरियाला, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जनआधार कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र, बैंक डायरी, पेन कार्ड में वादी का नाम विक्रमसिंह पुत्र हणूतसिंह होने की पुष्टि होती है। लिहाजा वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा बरियाला, तहसील सोजत में खाता संख्या 197 ख0नं0 203, 207, 208, 209, 211, 213, 214, 216/1, 218, 225, 227, 228, 230, 232, 233, 235, 236 कुल खसरा 17 रकबा 33.7900 है0 किस्म बा0दो0, बा0अ0 कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम कालूसिंह पुत्र हणूतसिंह के स्थान पर विक्रमसिंह पुत्र हणूतसिंह सही रूप से दर्ज किया जाना उचित समझते है।

-: आदेश :-

अतः अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा बरियाला, तहसील सोजत में खाता संख्या 197 ख0नं0 203, 207, 208, 209, 211, 213, 214, 216/1, 218, 225, 227, 228, 230, 232, 233, 235, 236 कुल खसरा 17 रकबा 33.7900 है0 किस्म बा0दो0, बा0अ0 कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम कालूसिंह पुत्र हणूतसिंह के स्थान पर विक्रमसिंह पुत्र हणूतसिंह दुरूस्त दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद दुरूस्त रूप से किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 04.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री गोपाल जांगिड़ (आर.ए.एस.)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
विक्रमसिंह पुत्र हनुवन्तसिंह जाति राजपुत निवासी रेपड़ावास तह0 सोजत जिला पाली राज0।	1.	सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

राजस्व वाद संख्या :– 11/2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री दशरथसिंह चारण तथा प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा बरियाला, तहसील सोजत में खाता संख्या 197 ख0नं0 203, 207, 208, 209, 211, 213, 214, 216/1, 218, 225, 227, 228, 230, 232, 233, 235, 236 कुल खसरा 17 रकबा 33.7900 है0 किस्म बा0दो0, बा0अ0 कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम कालूसिंह पुत्र हणूतसिंह के स्थान पर विक्रमसिंह पुत्र हणूतसिंह दुरूस्त दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सोजत को इस आदेश की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 04.05.2022 को जारी की गई।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी सोजत

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.